ग्राम पंचायत भद्रकाली, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 (क) <u>प्रस्तावना:-</u>

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भद्रकाली, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

1	श्री दलविंदर सिंह	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्रीमति सनीता कमारी	23-1-2016 से लगातार

सचिव:-

1	श्री शमशेर सिंह	1-4-2013 से 17-1-2014
2	श्री राम लाल	17-1-2014 से 13-3-2014
3	श्री शमशेर सिंह	13-3-2014 से 1-1-2015
4	श्री नीरज चौहान	1-1-2015 से 31-3-2016

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत भद्रकाली के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	पैरा-8	अनदानों का उपयोग न करना	12.30
2	पैरा-9	दकान किराया वसूली हेत शेष	0.20

3	पैरा-10	प्राप्त अनदानों की राशि से अधिक व्यय	0.55
4	पैरा-12	सोमभद्रा उत्सव ऊना के लिए अनचित भगतान करना	0.01
5	पैरा-13	सभा निधि से IAY के लाभार्थियों को भगतान करना	1.30
6	पैरा-15	मनरेगा निधि से करवाए गये भारत निर्माण राजीब गाँधी सेवा केंद्र भद्रकाली के निर्माण पर मदों के लिए अनचित भगतान करना	1.61
7	पैरा-17	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किये गये सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	7.38
8	पैरा-18	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	3.64
9	पैरा-19	मूल्यांकन के बिना भगतान करना	2.81

2 <u>वर्तमान अंकेक्षण</u>:-

ग्राम पंचायत भद्रकाली , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनभाग अधिकारी व जीवन कमार , कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19/1/2017 से 23/1/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेत आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2013-14	7/2013	2/2014
2014-15	1/2015	10/2014
2015-16	2/2016	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 <u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-

ग्राम पंचायत भद्रकाली , विकास खण्ड गगरेट , जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेत अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27/2017 दिनांक 24-1-2017 द्वारा अनरोध किया गया ।

4 <u>वितीय स्थिति</u>:-

ग्राम पंचायत भद्रकाली द्वारा प्रस्तत अभिलेख के अनसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) <u>स्वः स्त्रोत :-</u>ग्राम पंचायत भद्रकाली के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	181968.92	113095.00	295063.92	49213.00	245850.92
2014-15	245850.92	134410.00	380260.92	114750.00	265510.92
2015-16	265510.92	92361.00	357871.92	117163.00	240708.92

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत भद्रकाली के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	704446.32	3153344.00	3857790.32	2873293	984497.32
2014-15	984497.32	1974111.00	2958608.32	2049897	908711.32
2015-16	908711.32	2876394.00	3785105.32	2555392	1229713.32

5 <u>बैंक समाधान विवरणी</u>:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भद्रकाली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹2990 का अंतर पाया गया जिसका समाधान विवरण **परिशिष्ट (2)** पर सलंग्न है ।

1 दिनांक 31.3.16 को स्वः स्त्रोत खाता क पैरा 4(1) का अन्तशेष 240708.92

2 दिनांक 31.3.16 को अनदान खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 1229713.32

योग **1470422.24**

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. दौलतपर चोंक	20014009805	233
2	के.सी.सी.बी. दौलतपर चोंक	20014009486	1234951.69
3	के.सी.सी.बी. दौलतपर चोंक	20014009612	5802
4	के.सी.सी.बी. दौलतपर चोंक	20014009907	231614
5	डाकखाना दौलतपर	291646	58.6
6	कोपरेटिव सोसाइटी भद्रकाली		30
		Total	**1472689.29**
		<u>Cash in hand</u>	
		GENERAL CASH BOOK	722.95
		MNREGA	00
		13th Finance	10
		IAY	0
		<u>TOTAL</u>	**<u>1473412.24</u>**

अंतर 1473412.24 - 1470422.24 = ₹2990

6 <u>निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना</u> :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हये भविष्य में नियमानसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सनिश्चित किया जाये ।

7 <u>पंचायत राजस्व ₹0.83 लाख वसूली हेतु शेष:-</u>

पंचायत सचिव भद्रकाली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर की ₹82600 वसूली हेत शेष थी।

<u>1 गृहकर</u> :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष

					राशि
2013-14	20560	20560	41120	0	41120
2014-15	41120	20560	61680	0	61680
2015-16	68680	20920	82600	0	82600

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज[वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया । अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हए भविष्य में नियानसार अभिलेख तैयार करना सनिश्चित किया जाए।

8 <u>दूकान किराया ₹0.20 लाख की वसूली न करना :--</u>

ग्राम पंचायत भद्रकाली द्वारा अपनी दो दकानों को किराये पर दिया गया है परन्त दिनांक 31-3-2016 तक किराए की वसूली हेत ₹19650 लम्बित थी जिसकी वसूली शीघ्र सनिश्चित की जाए।

<u>SHOP NO.1</u>

<u>वर्ष</u>	<u>अथशेष</u>	<u>मांग</u>	<u>योग</u>	<u>प्राप्ति</u>	<u>वसूली हेतु शेष राशि</u>
2013-14	350	4200	4550	4200	350
2014-15	350	4200	4550	3500	1050
2015-16	1050	12000	13050	0	13050

<u>SHOP NO. 2</u>

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	9000	3600	12600	0	12600
2014-15	12600	3600	16200	13800	2400
2015-16	2400	4200	6600	0	6600

SHOP NO.1 13050
SHOP NO.2 6600
TOTAL 19050

9 <u>अनुदान ₹12.30 लाख का उपयोग न करना :-</u>

पंचायत द्वारा अनदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनसार दिनांक 31.03.16 तक अनदान ₹1229713 उपयोग हेत शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेत प्राप्त अनदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनसार अनदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 <u>प्राप्त अनुदानों से ₹0.55 लाख का अधिक व्यय</u>

सचिव ग्राम पंचायत भद्रकाली द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनसार MMGPY.VMJS में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानसार ₹268452 ऋणआत्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन MMGPY. VMJS में अथवा किसी अन्य योजनासे MNREGA,VMJS का भगतान करने के फलस्वरूप है । इस चूक का नियामानसार निराकरण सनिशचित करते हए कृत अनपालना से अवगत करवाएं ।

1 MMGPY 2196

2 VMJS 53146

योग 55342

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.64 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–"3"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹363803 की सामग्री का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः

निर्माण का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर व निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 <u>सोमभद्रा उत्सव ऊना के लिए ₹1000 का अनुचित भुगतान करना</u>

ग्राम पंचायत भद्रकाली ने वाउचर संख्या 45 मास 10/2014 के द्वारा सोमभद्रा उत्सव ऊना के लिए ₹1000 का भगतान सभा निधि से किया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के अनसार सभा निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अत: ₹1000 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में जमा करवाई जाए।

13 <u>सभा निधि से ₹1.30 लाख का IAY के लाभार्थियों को भुगतान करना:-</u>

जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने सभा निधि से ₹130399 का भगतान IAY के लाभार्थियों को उनकी दूसरी किस्त के रूप में सभा निधि से किया जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के अनसार उचित न है। जबकि सभा निधि में यह राशि IAYअनदान में राशि प्राप्त होने के उपरांत जमा करवा दी गयी परन्त इस प्रकार के अनचित भगतानों से ब्याज की हानि होने से इन्कार नहीं किया जया सकता है। अत: इस प्रकार बिना अनदान के सभा निधि से किये जा रहे भगतानों पर पूर्ण रूप से अंकश लगाया जाए।

<u>क्र.सं.</u>	<u>मास</u>	<u>राशि प्राप्त करता का नाम</u>	<u>राशि</u>
1	9/2013	श्री गिरधारी लाल सपत्र श्री गरदिता राम	23500
2	9/2013	श्री सचा राम सपत्र श्री लेख राम	8000
3	9/2013	IAF लाभार्थी	98899
		कुल योग	**130399**

14 <u>मापन पुस्तिकाओं के पृष्ठ खाली छोडना</u>:-

जाँच में पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मापन पस्तिका संख्या 4597,4653 के पृष्ठों को लिखने के उपरांत पृष्ठों को खाली रखा गया है तथा यह प्रक्रिया बार बार उक्त मापन पस्तिकाओं में दोहराई गयी है। यह मामला विशेष रूप से ग्राम पंचायत के उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

15 <u>मनरेगा निधि से करवाए गये भारत निर्माण राजीब गाँधी सेवा केंद्र भद्रकाली के निर्माण पर ₹1.61 लाख की मदों के लिए अनुचित भुगतान करना</u>

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश परिसम्पत्ति (आस्ति) रजिस्टर पृष्ठ 57 के अनसार ग्राम पंचायत भद्रकाली द्वारा मनरेगा निधि से करवाए गये भारत निर्माण राजीब गाँधी सेवा केंद्र भद्रकाली के निर्माण के लिए जिन मदों का

क्रय किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है :--

बा.सा.	मास	ईंटे	सीमेंट	रेत	बजरी	बजरा	सरिया
8	7/2013	2000					
4	7/2013		100				
10	8/2013						1147.44kg
19	9/2013			500cft	500cft		
21	9/2013						825.80kg
22	9/2013		100				
56	11/2013						285.48kg
60	12/2013	4500					
77	1/2014	दरवाजे					
81/1	1/2014		100				
82,83	1/2014	7500					
87	1/2014			500cft	500cft		
99	3/2014						1140kg
100	3/2014		170				
17	5/2014		135				
37	10/2014	2000					
38	10/2014	300					
39	10/2014						621.50kg
40	10/2014						538.62kg
41	10/2014						691.40kg
1	6/2015			3600cft			
2	6/2015				600cft	1000 cft	
कल योग		16300	605	4600cft	1600cft	1000 cft	5250.24kg

कनिष्ठ अभियन्ता ने मापन पुस्तिकाओ में निम्नानुसार उक्त निर्माण कार्य की निष्पादित करवाई गईं मदों को दर्ज किया है :----

MB NO.	MB PAGE NO.	CC 1:5:10	CC 1:1/2:3	CC 1:6:12	CC 1:3:6	CC 1:2:4	CP(15MM) 1:6	Brick work	Tor Steel
4597	94	5.44 m^3	5.88m^3						1035.69kg
4597	99			55.70 m^3					
4653	55				(i) 10.28 m^3 (ii) 12.55 m^3				
4653	59							22.45 m^3	
4653	70								2000kgs
4653	72					20.06			1000k

						m3			gs
4653	74						494.79 m2		
Total		5.44 m3	5.88 m3	55.70 m3	22.83 m3	20.06 m3	494.79 m3	22.45 m2	4035.69kg
	CEMENT Quantity	14.14	47.04	122.54	100.45	128.38	41	26.94	484bags

निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार प्रयोग में लाई गयी मदों की मात्रा निम्नानुसार बनती है :--

Aggreagte

109.91m3 x .89 = 97.81 m3 x 35.28 m3 = 3451cft

{5.44+5.88+55.70+22.83+20.06=109.91}

Bricks

22.45 m3 x 475 = 10664 bricks

Sand Bricks work

22.45 x .27 m3 = 6.06 m3 35.28 = 313.84 Cft

Sand of CP 1:6 (15mm)

494.79 m2 X .184 = 9.10 m3 X 35.28 = 321 cft

Sand

109.91 m3 x .47 = 51.61 m3 x 35.28 = 1820 cft

Total Sand 1820 +213.84 +321 = 2354 m3

CEMENT481 BAGS {14.14+47.04+122.54+100.45+128.38+41+26.94}

उपरोक्त विवरण से स्वत: स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के लिए क्रय की गयी मदों तथा वास्तव में नियमानसार उपभोग की गयी मदों में अंतर होने के कारण निम्न विवरण

के अनसार ₹161349 की मदों का भगतान निर्माण कार्य के लिए किया गया है जिसकी विभागीय जांच कर उचित कार्यवाही व वसूली सनिश्चित की जाये।

Sr N.	Name of Items	Items actually issued as per Form	As per consumoption/ Items actually	Difference	Rate	Amount

		34	**counsumed**			
1	Cement	605 bags	481	124	224.5	27838
2	Sand	4600cft	2354cft	2246 cft	20	44920
3	Bricks	16300	10664	5656	6	33936
4	Steel	5250.24 kg	4035.69kg	1214.55 kg	45	54655
	Total					161349

16 <u>सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-</u>

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच_हेत उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनचित है क्योंकि लिखित रूप में अनदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनदानों के दर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

17 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किये गये सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹**737597** के सीमेंट का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । सीमेंट को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी तथा दर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है ।अतः सीमेंट को नियमानसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हए स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सनिश्चित किया जाए ।

18 <u>पंचायत निर्माण कार्यों के लिए ₹3.64 लाख क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** में दिए गए विवरणानसार पंचायत द्वारा ₹**363803** के स्टॉक स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोगकी गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तस्थिति से अवगत करवाया जा ।

19 <u>मूल्यांकन किए बिना ₹2.81 लाख का भुगतान करना :-</u>

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निर्माण कार्य के मूल्यांकनassessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भगतान किया जाएगा । परन्त जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** पर लगाये गये विवरण के अनसार पंचायत द्वारा ₹**280634** का भगतानassessment मूल्यांकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तत करते हए मूल्यांकन के बिना भगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

20 <u>मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना</u>

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनसार "ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्धर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फट के अनसार " परन्त ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (3)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है ।अत: इस बारे में नियमानसार कार्यवाही सनिश्चित की जाये।

21 <u>मस्टरोल को सहभागी समिति तथा सतर्कता समिति से सत्यापन न करवाना:-</u>

पंचायत भद्रकाली द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भगतान किया गया परन्त हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनसार इन कार्यों के मस्टरो लों को न सहभागी समिति तथा सतर्कता समिति से नियमानसार सत्यापन नहीं करवाया गया । अत: उक्त के अभाव में भगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

22 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सनिश्चित किया जाए।

<u>क्रम</u>	<u>रजिस्टर/अभिलेख</u>	<u>फॉर्म संख्या</u>	<u>संदर्भित नियम</u>
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेत नियमानसार किया जाना सनिश्चित किया जाए।

23 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 **<u>लघु आपत्ति विवरणिका:-</u>** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपित छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा केर दिया गया।

25 **निष्कर्ष :-** लेखाओं में सधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V) 20/2017–खण्ड–1–2100–2104 दिनाँकः 10.04.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भद्रकाली, विकास खण्ड गगरेट तहसील अम्ब, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट तहसील अम्ब जिला ऊना हि0प्र0

5 वरिष्ठ महालेखाकार (अंकेक्षण), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0)

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
01772620881